देश की तमाम शख्सियतों को लेकर मिमिक्री होना आम बात है। यह बरसों-बरस से हो रही है, बल्कि तमाम हस्तियां इसे एंज्वाय भी करती हैं। जैसे शाहरुख खान की हकलाने वाली मिमिक्री पर वह बुरा नहीं मानते या फिर नाना पाटेकर की खब्ती भरी गुस्से वाली मिमिक्री पर वह खूब हंसते हैं, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। डीपफेक से अब उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हूबहू उनकी ही शक्ल बनाकर ऊल-जलूल हरकतें या बातें कहलाई जा रही हैं। उनके चेहरे और आवाज का इस्तेमाल फर्जी विज्ञापनों में किया जा रहा है। इसकी वजह से यह सभी हस्तियां चिंता में हैं। कई मशहूर सेलिब्रिटी- अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, आशा भोसले आदि पर्सनाल्टी राइट्स को लेकर अदालत पहुंचे हैं।

पर्सनालिटी राइट्स को लेकर परेशान सेलिब्रिटी

आलोक तिवारी
लेखक, लखनऊ

भारत में एक नया कानूनी युद्ध शुरू हो चुका है, जो न सीमाओं पर है, न संसद में, बल्कि अदालतों और सोशल मीडिया के बीच लड़ा जा रहा है। यह लड़ाई है "व्यक्तित्व अधिकारों" यानी पर्सनालिटी राइट्स की। हाल ही में देश के कई मशहूर हस्तियों, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, आशा भोसले सद्गुरु और श्री श्री रविशंकर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और किसी व्यक्ति ने इनको मजबूर नहीं किया है, बल्कि एआई ने आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस ने इन लोगों के चेहरे आवाज और हाव भाव की इतनी अच्छी नकल कर के दिखाई है कि एक सामान्य नागरिक को भी असली और नकली का अंतर नहीं मालूम पड़ सकता और इसी बात ने इन्हें मजबूर किया है।

■ एआई के आने बाद प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या अब किसी व्यक्ति का नाम, चेहरा और आवाज भी उसकी संपत्ति मानी जाएगी, जिसे वह चाहे तो बेच सके, लाइसेंस दे सके या उसके उपयोग से रॉयल्टी कमा सके?

भारतीय न्यायालयों में विवाद

अब यही विवाद भारतीय न्यायालयों तक पहुंच गया है। कानूनी दृष्टि से भारतीय अदालतें अब तक इन मामलों में अनुच्छेद 21 यानी जीवन और निजता के अधिकार का सहारा लेती रही हैं। परंतु यहां एक गहरी दुविधा है। क्या यह अधिकार "निजता" का है या "संपत्ति" का? अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने इसे संपत्ति के अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। वहां मर्लिन मुनरो और एलवीश प्रेसले जैसे कलाकारों की मृत्यु के बाद भी उनकी पहचान से जुड़े अधिकार उनके परिवार या ट्रस्ट को मिलते हैं, जबकि भारत में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उदाहरण के तौर पर, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म रोकने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि "व्यक्तिगत पहचान मृत्यु के बाद स्वतः परिवार को ट्रांसफर नहीं होती।" यानी भारत में व्यक्तित्व अधिकार अभी विरासत योग्य नहीं हैं। हर बार जब कोई नया डीपफेक या बिना अनुमति विज्ञापन सामने आता है, तो अदालतों को "John Doe Orders" जारी करने पड़ते हैं। ऐसे आदेश, जो "अज्ञात व्यक्तियों" के खिलाफ होते हैं, लेकिन यह समाधान अस्थायी है। यह केवल तत्काल राहत देता है, न कि स्थायी कानूनी सुरक्षा। कई बार ये आदेश इतने व्यापक होते हैं कि वैध आलोचना, व्यंग्य और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगने लगता है। परिणामस्वरूप, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल देता है।

■ सच्चाई यह है कि भारत में अब तक एआई और डीपफेक के लिए कोई ठोस कानून नहीं बना है। अदालतें केस-दर-केस फैसले दे सकती हैं, पर संपूर्ण नीति नहीं बना सकतीं। इसलिए अब समय आ गया है कि संसद इस विषय पर एक स्पष्ट और संतुलित Personality Rights Law बनाए, जो व्यक्ति की पहचान की रक्षा करे, लेकिन साथ ही कला, व्यंग्य, पत्रकारिता और जनहित की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखे।

निजता के अधिकार का उल्लंघन

■ दरअसल अब यह बहस सिर्फ गोपनीयता तक सीमित नहीं रही। मामला यह है कि किसी की पहचान- जैसे चेहरा, आवाज या नाम का बिना अनुमति इस्तेमाल अगर किसी के आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, तो यह संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन बन जाता है। अगर इसका इस्तेमाल किसी की बदनामी या अपमान के लिए किया जाए, तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन कहलाएगा। यानी Privacy Violation और Property Violation दोनों में बारीक, लेकिन बहुत अहम फर्क है। सोचिए, आपके मोहल्ले की नाई की दुकान के बाहर अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगी हो और नीचे लिखा हो- "Amitabh Style Haircut Available Here!" या कोई आइसक्रीम बेचने वाला जैकी श्रॉफ का डायलॉग बोलता दिखे-"भिडू, सबसे झकास फ्लेवर यही मिलेगा।" तो यह भले ही मजाक लगे, लेकिन कानून की नजर में यह Personality Rights Violation है। क्योंकि इन छवियों या वाक्यों का इस्तेमाल बिना अनुमति किया गया है।

■ पहले यह सब इतना गंभीर नहीं माना जाता था। स्टेज शो में कलाकार, फिल्मी अभिनेताओं की नकल करते, आवाजें निकालते और मनोरंजन करते थे। परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक टेक्नोलॉजी के आने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ ही सेकंड में किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज और चेहरा हूबहू बना सकता है। इतने सटीक वीडियो बनाए जा रहे हैं कि आम दर्शक के लिए असली और नकली में फर्क करना लगभग असंभव हो गया है।

यही कारण है कि अब अदालतों में एक नई किस्म की याचिकाएं बढ़ने लगी हैं। जैकी श्राफ कह रहे हैं- "भिड़ू" शब्द उनकी पहचान है, अनिल कपूर "झकास" पर अपना अधिकार बता रहे हैं, संजय दत्त "बाबा" शब्द पर दावा कर रहे हैं, तो कोई अपनी तस्वीर या वीडियो के गलत इस्तेमाल से परेशान है। आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिका भी कह चुकी हैं कि लोग बिना अनुमति उनके गीतों पर उनकी तस्वीर चिपकाकर वीडियो बना देते हैं। यहां तक की श्री श्री रविशंकर और सद्गुरु भी कोर्ट से गुहार लगा रहे है कि उनके आध्यात्मिक प्रवचनों का प्रयोग उनकी एआई फोटो और आवाज के साथ किया जा रहा है और जो बात हम लोगों ने कहा भी नहीं है वो भी जनता को बताई जा रही है, जो हमारा ही नहीं संस्कृति और अध्यात्म का भी गलत प्रस्तुतिकरण है, जो हमारे धर्म को ही नष्ट कर देगा।

मॉडल आफ द वीक

नाम: स्वाति यादव
टाउन: कानपुर
एजूकेशन: बी कॉम
अचीवमेंट: इंडियन नेशनल अवार्ड 2020
ड्रीम: प्रोफेशनल मॉडलिंग, एक्टर

जोकर के खौफ की कहानी 'इट'

स्टीफन किंग के हॉरर उपन्यास 'इट' ने पाठकों और दर्शकों के मन में ऐसा भय पैदा किया, जो दशकों बाद भी कम नहीं हुआ। इस उपन्यास का मुख्य खलनायक 'पेनीवाइज' हॉरर दुनिया का सबसे डरावना चेहरा बन चुका है। हालांकि 'पेनीवाइज' पूरी तरह काल्पनिक पात्र है, लेकिन इसकी जड़ें उन वास्तविक अपराधों और सामाजिक भय से जुड़ी दिखाई देती हैं, जिन्होंने अमेरिका को हिला दिया था।

ऐसे बनी 'इट' की पृष्ठभूमि

स्टीफन किंग ने कभी सीधा यह स्वीकार नहीं किया कि 'पेनीवाइज' किसी असल व्यक्ति पर आधारित है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि वे बच्चों के "सबसे गहरे और अनकहे डर" को कहानी में रूप देना चाहते थे। 1980 के दशक में अमेरिका में बच्चों के अपहरण और हत्या की घटनाओं में वृद्धि ने माता-पिता और समाज दोनों के मन में असुरक्षा की भावना भर दी थी। यही सामाजिक भय 'इट' की पृष्ठभूमि बना।

किंग का मानना था कि बच्चों की दुनिया में जोकर एक ऐसा चरित्र है, जिसके चेहरे पर मुस्कान होती है, पर असल भावनाएं छिपी रहती हैं। यह विरोधाभास ही डर पैदा करता है। इसी आधार पर जन्म हुआ पेनीवाइज जैसा राक्षसी जोकर, जो मासूमियत का मुखौटा पहने भय का खेल खेलता है।

एक मनोवैज्ञानिक सच

जोकरों से डर को 'कूलरोफोबिया' कहा जाता है। चमकीला मेकअप, अतिरंजित मुस्कान और छिपा हुआ चेहरा लोगों के लिए जोकर का असली स्वभाव समझना मुश्किल हो जाता है। यही अनिश्चितता डर की वजह बनती है।

'पेनीवाइज' इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाता है और बच्चों को उनके ही डर में फंसाता है।

जॉन वेन गेसी: वास्तविक दुनिया का 'किलर क्लाउन'

'पेनीवाइज' की कल्पना भले ही काल्पनिक हो, पर 'किलर क्लाउन' की वास्तविक कहानी जॉन वेन गेसी से मिलती-जुलती है। गेसी पार्टियों में 'पोगो द क्लाउन' बनकर बच्चों का मनोरंजन करता था, लेकिन बाद में वह 33 किशोरों और युवाओं का कुख्यात हत्यारा निकला। उसके अपराध उजागर होने के बाद समाज में जोकरों को लेकर नया भय पैदा हुआ, जिसने हॉरर कहानियों को एक नया आयाम दिया।

पेनीवाइज : रूप बदलने वाला आतंक

'पेनीवाइज' असल में इंटरडाइमेंशनल ईविल एंटिटी "इट" का रूप है, जो बच्चों के डर को खाना अपनी ताकत मानता है। यह हर 27 साल में लौटकर बच्चों को उनके सबसे बड़े भय से रूबरू कराता है। यही वजह है कि यह पात्र केवल एक जोकर नहीं, बल्कि डर का प्रतीक बन चुका है।

जिंदगी का सफर

सुबह सी नूतन

नूतन अपने दौर की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनका चेहरा इतना सौम्य था कि देखने पर हमेशा उन पर सुबह सी ताजगी नजर आती थी। उन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। नूतन समर्थ का जन्म चार जून 1936 को बंबई (अब मुंबई) में हुआ था। वह एक फिल्मी पृष्ठभूमि वाले परिवार से थीं। उनके पिता कुमारसेन समर्थ एक फिल्म निर्देशक और कवि थे। उनकी मां शोभना समर्थ एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। अभिनेत्री तनुजा उनकी छोटी बहन हैं और लोकप्रिय अभिनेत्री काजोल उनकी भतीजी हैं।

नूतन ने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1950 में की थी। तब वह स्कूल की छात्रा थीं। बतौर बाल कलाकार फिल्म 'नल दमयंती' में उन्होंने काम किया था। इसी साल नूतन ने अपनी मां द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म 'हमारी बेटी' (1950) में भी अभिनय किया। 1951 में 'मिस इंडिया' का खिताब जीतने के बाद, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म 'सीमा' (1955) से बड़ी सफलता मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।

नूतन को महिला केंद्रित भूमिकाओं को पर्दे पर उतारने के लिए जाना जाता है, जो उस समय काफी दुर्लभ था। उनकी अभिनय शैली सहज और यथार्थवादी थी। उनकी कुछ सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हैं, 'सीमा' (1955), 'सुजाता' (1959), 'बंदिनी' (1963)। इस फिल्म में एक जेल कैदी की भूमिका को उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक माना जाता है। जिस वक्त उन्होंने यह फिल्म की, वह गर्भवती थीं। इसके अलावा 'मिलन' (1967), 'सरस्वतीचंद्र' (1968), 'मैं तुलसी तेरे आंगन की' (1978) और 'मेरी जंग' (1985) जैसी फिल्में शामिल हैं। नूतन ने अपने करियर में कुल छह फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिनमें से पांच सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सबसे अधिक फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने का उनका रिकॉर्ड कई दशकों तक कायम रहा। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1974 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया था।

11 अक्टूबर 1959 को नूतन ने भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की। उनका एक बेटा है, अभिनेता मोहनीश बहल। नूतन का 21 फरवरी 1991 को कैंसर के कारण 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और बेहतरीन अभिनय को आज भी याद किया जाता है।